कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 307 /सात लाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनःदिनांकःअप्रैल 25 ,2012

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या **संख्याः327/XXIII/2012/01(36)/2011देहरादूनःदिनांक 25.04.2012** के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 (दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 16.05.2012 से 31.03..2013 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

प्रथम चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	07.05.2012 समय 5.00 बजे सायं तक।
लाटरी की तिथि	12.05.2012 प्रातः 10.00 बजे से आंवटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक।

द्वितीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	13.05.2012 समय 5.00 बजे सांय तक।
लाटरी की तिथि	14.05.2012 अपरान्ह 2.00 बजे से आंवटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक।

तृतीय चरण

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	15.05.2012 समय 2.00 अपरान्ह तक।
लाटरी की तिथि	15.05.2012 सांय 5.00 बजे से आंवटन की प्रक्रिया समाप्त होने तक।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्ते उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नही की जायेगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 308–335 /सात लाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, **अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 26.04.2012 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 328/XXIII/2012/ 01(36)/2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2012।

विषय :– **आबकारी नीति वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत व्यवस्थापित मदिरा की दुकानों का माह अप्रैल 2012 से आगे 2012 में दिनांक 15 मई, 2012 तक अतिरिक्त नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–226/XXIII/2012/01(36)/2011 दिनांक 26.03.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के माह अप्रैल में अस्थायी रूप से व्यवस्थित मदिरा की दुकानों को पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 15.05.2012 तक नवीनीकरण करने की सहमति प्रदान की जाती है।

कृपया उक्तानुसार त्वरित अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या 328/XXIII/2012/ 01(36)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

बी0 आर0 टम्टा
अपर सचिव

संख्या 171-183 /सात लाई–31/आबकारी नीति/2012–13

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनःदिनांकःअप्रैल 25 ,2012

विषयः– आबकारी नीति वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत व्यवस्थापित मदिरा की दुकानों का दिनांक 15–05–2012 तक हेतु नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–328/XXIII/2012/01(36)/2011/ देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2012 **(छाया प्रति संलग्न)** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के माह अप्रैल, 2012 में अस्थाई रूप से व्यवस्थित मदिरा की दुकानों को पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ दिनांक 15–05–2012 तक नवीनीकरण की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या–8391–8403/सात लाई–31/आबकारी नीति/2012–13 दिनांक 27–03–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 15–05–2012 तक नवीनीकरण करते हुये दुकान के निर्धारित राजस्व को अग्रिम रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

184-197

संख्या /सात लाई–31/आबकारी नीति/2012–13/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,आबकारी,उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या–328/XXIII/2012/01 (36) /2011/ देहरादूनःदिनांक 25 अप्रैल, 2012 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ,अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 364-376 /सात–लाई0–नीति–31/आबकारी नीति–2012–13/

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांकःअप्रैल 25 ,2012

विषयः– **वर्ष 2012–13 (दिनांक 16.05.2012 से 31.03.2013 तक) की अवधि हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वर्ष 2012–13 **(दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक)** की आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2012–13 हेतु सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 16.05.2012 से 31.03.2013 तक के लिये व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जा रहे हैंः–

1. वर्ष 2012–13 की घोषित आबकारी नीति के प्राविधानों के अनुसार किसी दुकान के लिए पूर्ण वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित राजस्व में से दिनांक 01–04–2012 से 15–05–2012 तक की अवधि में दुकान को चलाने से जमा राजस्व को घटाते हुये दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक का दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।
2. वर्ष 2012–13 के लिये घोषित आबकारी नीति **(संख्याः 327/XXIII/2012/01(36)/2011देहरादूनःदिनांक 25.04.2012)** तथा समाचार पत्रों में एवं उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट–"www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि तथा दुकान के राजस्व का निर्धारण विहित प्रकिया के अनुरूप किया जाय। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, न्यूनतम गारन्टीड अभिकर का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्तानुसार जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की सूची शासन की वेबसाईड–"www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एवं उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी।
4. दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को कम्पयूटर में फीड किया जायेगा तथा एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिन जनपदों में अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे वहाँ अतिरिक्त स्टाफ तथा

कम्पयूटर की व्यवस्था कराई जाएगी, जिस हेतु रू0 10,000/– तक खर्च दिया जा सकेगा।

5. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तहसीलवार दुकान की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
6. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को फैक्स द्वारा प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य की नियुक्ति की जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

7. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
8. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
9. व्यवस्थापन के समय प्रेस के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
10. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।
11. लाटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तहसीलवार दुकानों की सूचियां, सम्बन्धित दुकान को आवंटित क्रमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ

ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

12. एक व्यक्ति को केवल एक दुकान आवंटित की जा सकती है। अतः लाटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लाटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात किसी आवेदक के चयन के उपरान्त अगली लाटरी में उसका नाम सम्मिलित नहीं होगा।
13. जिन देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है,उनका आवंटन लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम **(Descending Order)** में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी।
14. लाटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0मी0 × 6 से0मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्पयूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

मदिरा दुकान का नाम .....
मदिरा दुकान का प्रकार.....
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.....
आवेदक का नाम.....

जि0आ0अधि0 ना0 अधि0 जिलाधिकारी

15. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं किन्तु अन्य अधिकारी प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।
16. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लाटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लाटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
17. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को लाईसेंस फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा कराना होगा। किन्तु यदि सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानों की लाईसेन्स फीस रू0 35.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रू0 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त जमा करने के उपरान्त शेष धनराशि आवेदक के अनुरोध पर उसे माह सितम्बर, 2012 तक या उससे

पूर्व मासिक किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत 7 दिन के भीतर जमा कराना होगा। अवशेष 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के बराबर बैंक गारन्टी अथवा कैश दुकान व्यवस्थापन के 30 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कराना होगा। प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी) विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत दण्डक ब्याज देय होगा। लाईसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के प्राप्त बैंक ड्राफ्टों **(उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से दिनांक 25.04.2012 के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे।)** को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही करा दी जायेगी।

18. दुकानों के व्यवस्थापन हेतु केवल उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के नाम दिनांक 25–04–2012 के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे, प्राप्त ड्राफ्टों को जिला आबकारी अधिकारी अगले दिन सरकारी खजाने में जमा कराने हेतु भेज देंगे। इन ड्राफ्टों का पैसा ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करने के 7 दिन के भीतर सरकारी खजाने में प्राप्त हो जाना चाहिये पैसा 7 दिन के अन्दर सरकारी खजाने में प्राप्त न होने की दशा में 8 वें दिन से ड्राफ्ट की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा व यदि यह राशि 15 दिन के भीतर सरकारी खजाने में नही आती है तो व्यवस्थापित दुकान को निरस्त भी किया जा सकता है।
19. यदि चयनित आवेदक उपरोक्तानुसार आवश्यक धनराशि तत्काल जमा नहीं करता/ निर्धारित औपचारिकतायें पूरी नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी आवंटन निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही करेंगे।
20. दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही 15.05.2012 तक पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांक 16.05.2012 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, आदि सूचनाएं मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाय।
21. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।
22. अपने जनपद के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।
23. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के अगले दिन निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना

सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में विवर्जित **(Black List)** किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

24. आबकारी नीति के बिन्दु–6 (i) के सन्दर्भ में प्रदेश में एफ0एल0–5बी (बीयर की परिसर के बाहर उपभोग के लिए सील्ड बोतलों में बिक्री हेतु) अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

25. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लाटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदको को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

आवेदन कर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

26. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड, तहसील चौक देहरादून में नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां पर उप आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग,मुख्यालय से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0135–2658096 तथा फैक्स नम्बर 0135–2656930,2656229 एवं 2656558 हैं।

शासन की आबकारी नीति को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलता पूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

377-389

संख्याः /सात–लाई0–नीति–31/आबकारी नीति–2012–13/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

www.uk.gov.in पर प्रकाशनार्थ

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 336 /सात लाई0–31/आब0नीति 2012–13/देहरादूनःदिनांकःअप्रैल 25,2012

विज्ञप्ति

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2012–13 (दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक) के लिए सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना **संख्याः 327/XXIII/2012/01(36)/2011 देहरादूनः दिनांक 25.04.2012** के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की समस्त जिलों में स्थित सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों के वर्ष 2012–13 के व्यवस्थापन हेतु निजी आवेदकों से सम्बन्धित दुकान के **"निर्धारित राजस्व पर"** निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र (आवेदित दुकान के कुल राजस्व के **1/10** भाग के बराबर) चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित** छायाप्रतियॉ तथा वांछित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। इनके संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवदेनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो गत वर्ष निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा, कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें,कि इस दौरान प्रार्थी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित **चल/अचल** सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारन्टी स्वीकार की जा सकती है।

यदि किसी आवेदक के नाम अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को लाईसेसिंग प्राधिकारी के नाम Mortgage कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हैसियत प्रमाण पत्र की राशि की कमी के एवज में कम राशि के बराबर राशि की एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बनी) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगी, जमा कराई जा सकेंगी।

आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं होगा,तो उसे यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि,यदि उसके नाम दुकान लाटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेन्स निरस्त किया जा सकेगा।

किसी आवेदक को पूरे राज्य में सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो,उसी **तहसील के स्थायी निवासियों** के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, लाटरी प्रकिया से पूर्व उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा

एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

उपरोक्त प्रकिया के अनुसार दो चरणों में यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्ते समान रहते हुए जिले का निवासी दुकान हेतु पात्र माना जायेगा। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र तथा उसके साथ दिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप नीचे दिया जा रहा है जिनकी प्रतियां तथा पात्रता की शर्ते एवं अन्य जानकारियां जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित प्रारूप मे भरे हुये आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र शुल्क रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रोसेंसिग फीस जो नॉन रिफेंन्डेंबिल **(Non Refundable)** होगी, को जमा कराना होगा। आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं व उनकी प्राप्ति रसीद ली जा सकती है। आवेदन पत्रों के साथ लगाये जाने वाले धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट केवल उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक,राज्य सहकारी बैंक,जिला सहकारी बैंक,अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम दिनांकः 25.04.2012 के बाद के बने होने चाहिये ।

वर्ष 2012–13 की घोषित आबकारी नीति के प्राविधानों के अनुसार किसी दुकान के लिए पूर्ण वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित राजस्व में से दिनांक 01–04–2012 से 15–05–2012 तक की अवधि में दुकान को चलाने से जमा राजस्व को घटाते हुये दिनांक 16–05–2012 से 31–03–2013 तक का दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

जिलो में दुकानों की स्थिति, उनका निर्धारित राजस्व एवं अन्य सूचनायें सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इनके सम्बंध मे सूचना जिलों के जिला आबकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेवसाइट "www.uk.gov.in" एवं "www.uttrakhandexcise.org" पर भी उपलब्ध रहेगी।

दुकानों के आवंटन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता हैः–

1. **प्रथम चरण**–
   आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2012 तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 12.05.2012 को प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक जिलाधिकारी के समक्ष दुकानों का आवंटन किया जायेगा।
2. **द्वितीय चरण** –
   जो दुकानें प्रथम चरण में व्यवस्थापित नही हो पायेंगी उनकी सूची सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची मे अंकित दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 13.05.2012 सांय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रक्रियानुसार दिनांक 14.05.2012 को अपरान्ह 2.00 बजे से पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक दुकानों का आवंटन किया जायेगा।
3. **तृतीय चरण**–

जो दुकानें द्वितीय चरण के आवंटन मे भी आवंटित नही हो पायेंगी उनके व्यवस्थापन हेतु दिनांक 15.05.2012 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सम्बन्धित जिलों के आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्रथम चरण मे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 15.05.2012 को सांय 5.00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक आवंटन किया जायेगा।

यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जा सकेगा। जिस अवधि में किसी दुकान का स्थायी व्यवस्थापन नहीं हो पायेगा, उस अवधि में दुकान को दैनिक आधार पर चलवाया जायेगा। दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

आबकारी नीति के बिन्दु–6 (i) के सन्दर्भ में प्रदेश में एफ0एल0–5बी (बीयर की परिसर के बाहर उपभोग के लिए सील्ड बोतलों में बिक्री हेतु) अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया शासन की अधिसूचना **संख्याः 327/XXIII/2012/01(36)/2011 देहरादूनः दिनांक 25.04.2012** का सन्दर्भ लें। समस्त सूचनायें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uk.gov.in एवं www.uttrakhandexcise.org पर भी उपलब्ध रहेंगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

337-363

संख्या /सातलाई0–नीति–31/आब0नीति/2012–13/देहरादूनःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2012–13 (16–05–2012 से 31–03–2013 तक) अवधि के लिए सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) के फुटकर लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्ररूप

आवेदक का नोटरी से प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी / .....आयु.....वर्ष.....
..

पता वर्तमान निवास

मकान नम्बर.....नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....
थाना / पटवारी पट्टी.....तहसील / उपतहसील.....
....जिला.....

पता स्थाई निवास

मकान नम्बर.....नगर / मौहल्ला / ग्राम / तोक.....
थाना / पटवारी पट्टी.....तहसील / उप तहसील.....जिला.....
.....शपथ पूर्वक अभिकथन करता / करती हूँ कि:–

1. यह कि शपथकर्ता ने सी0एल0–5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर बिक्री की दुकान.....थाना.....
.....तहसील.....जिला.....के लाईसेंस वर्ष 2012–13 हेतु आवेदक पत्र दिया है।
2. यह कि शपथकर्ता ने लाईसेंस की शर्तो और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाईसेंस की शर्तो और लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा / करेगी।
3. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है एवं उत्तराखण्ड का **स्थाई निवासी** है। आवेदक की तहसील..... जिला ..... का **स्थाई निवासी** है।
4. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।
5. यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम कालीसूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाईसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।
6. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे / उन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नही पाया गया है।

7. यह कि शपथकर्ता द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र (विज्ञापन में दी गयी शर्तों अनुसार) चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थाई निवास प्रमाण पत्र** की प्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
8. यह कि शपथकर्ता के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावाली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर है/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय) प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है एवं रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप है।
9. यह कि शपथकर्ता किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो को नियुक्त नहीं करेगा।
10. यह कि शपथकर्ता दुकान आवंटन के बाद पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।
11. यह कि शपथकर्ता अनुज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान अनुज्ञापन का किसी अन्य के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।
12. यह कि शपथकर्ता को आयकर विभाग द्वारा पैन संख्या..... आवंटित की गयी है।

    यदि उसके नाम दुकान निकलती है तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन संख्या प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा एवं आवेदन का प्रमाण विभाग को प्रस्तुत करेगा। उनके द्वारा ऐसा न करने पर उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

    (जो लागू न हो, काट दिया जाये)
13. यह कि प्रस्तर–1 से 12 तक की विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

स्थान.....

दिनांक.....समय.....

शपथकर्ता

पब्लिक नोटेरी का नाम और मोहर

स्थान.....दिनांक .....

आवेदन पत्र का प्रारूप

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये) फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन देशी शराब–5ग हेतु आवेदन पत्र/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री (भू गृहादि के बाहर उपभोग के लिये) के अनुज्ञापन विदेशी मदिरा–5घ हेतु आवेदन पत्र।

(दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो,उसी तहसील (तृतीय चरण में सम्पूर्ण जनपद) के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।)

पंजीयन संख्या..... आबकारी वर्ष 2012–13

(कार्यालय द्वारा भरा जाये) (16–05–2012 से 31–03–2013 तक)

निम्न विवरण आवेदक द्वारा स्वयं भरे जायें:–

1. आवेदित दुकान का विवरण

(i) जिले का नाम.....

(ii) दुकान का नाम.....थाना/पटवारी पट्टी.....तहसील/उप तहसील

(iii) दुकान का प्रकार.....

(iv) (16–05–2012 से 31–03–2013 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये
(अंको में) .....(शब्दों में) .....

(v) (16–05–2012 से 31–03–2013 तक) के लिये मदिरा का निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि रूपये (अंको में).....(शब्दो में).....

(vi) (16–05–2012 से 31–03–2013 तक) के लिये कुल राजस्व (iv+v) (अंको में) .....(शब्दों में).....

(vii) धरोहर धनराशि रू0 (अंको में).....(शब्दो में).....

(viii) प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में).....(शब्दो में).....

2. आवेदक का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. आयु.....
5. लिंग–पुरूष/महिला.....
6. स्थायी पता.....
7. पैन नम्बर (यदि आवंटित है).....

मकान नम्बर..... नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक..... थाना/पटवारी पट्टी..... तहसील/उप तहसील..... जिला .....उत्तराखण्ड। दूरभाष (लैन्ड लाईन नम्बर)..... मोबाईल नम्बर.....	आवेदक का नवीनतम प्रमाणित फोटोग्राम

8. जमा धरोहर धनराशि का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक,राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा

राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम दिनांक **25—04—2012** के बाद के बने बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे।)

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक .....

(ब) बैंक का नाम.....

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि.....

आवेदक की घोषणा

मैं .....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....घोषणा करता/करती है कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर धनराशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/है कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

स्थान.....दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

.....

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
निवासी.....सी0एल0—5सी (देशी शराब) तथा एफ0एल0—5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकान.....हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, शपथ पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं **स्थायी निवास प्रमाण पत्र** के साथ प्राप्त किया गया, जिसे **रजिस्टर के कमांक.....पर दर्ज** किया गया।

दिनांक.....

कार्यालय सील

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
समय.....